आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2 | 3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 02/2019–20
आवेदक– दाउद मालतो
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– बेकचुरी
आदेश

1.8.19 आवेदक द्वारा दिनांक 05.04.2019 को आवेदन दाखिल कर मौजा बेकचुरी के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल कर पूर्व प्रधान स्व0 रामा पहाडिया की मृत्यू के पश्चात मौजा बेकचुरी के प्रधान पद हेतु आवेदन दाखिल कर प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किये है। आवेदक दाउद मालतो पूर्व प्रधान स्व0 रामा पहाडिया के ज्येष्ठ पुत्र है। पूर्व प्रधान स्व0 रामा पहाडिया की मृत्यू दिनांक 18.11.2018 हो गयी है। आवेदक प्रधानी कार्य में सक्षम है। अतएव आवेदक को उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 308/रा0, दिनांक 02.05.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि रामा पहाडिया, पिता– स्व0 बंगरू पहाडिया, मौजा बेकचुरी थाना सं0 11 के बहाल प्रधान थे, जिनकी मृत्यू दिनांक 18.11.2018 को हो चुकी है, जिस कारण मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। आवेदक दाउद मालतो, पिता– स्व0 रामा पहाडिया मृत प्रधान का ज्येष्ठ पुत्र है। आवेदक शिक्षित एवं प्रधानी कार्य करने में सक्षम है। पूर्व प्रधान स्व0 रामा पहाडिया की पत्नी की तबियत भी खराब रहने के कारण प्रधानी कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसलिए पूर्व प्रधान की पत्नी सोमरी पहाडिन ने आवेदक दाउद मालतो को प्रधान बहाल करने पर सहमति दे रही है। मौजा के प्रधानी पद रिक्त होने के कारण पूर्व प्रधान स्व0 रामा पहाडिया के ज्येष्ठ पुत्र दाउद मालतो को प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं 16 आना रैयतों की आपत्ति के अभाव में तथा उत्तराधिकारी के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के तहत् मौजा बेकचुरी के प्रधान पद पर आवेदक दाउद मालतो को बहाल किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

ज्ञापांक 873/स0
दिनांक 8.8.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल